रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18072023-247398
CG-DL-E-18072023-247398

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3064] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 17, 2023/आषाढ़ 26, 1945
No. 3064] NEW DELHI, MONDAY, JULY 17, 2023/ASHADHA 26, 1945

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 17 जुलाई, 2023

का.आ. 3193(अ).—केन्द्रीय सरकार की, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 25 की उप-धारा (3) के साथ पठित धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पॉलिएस्टर कांटीनियुश फिलामेंट फुल्ली ड्रॉन यार्न (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2022 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात, यह राय है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम पॉलिएस्टर कांटीनियुश फिलामेंट फुल्ली ड्रॉन यार्न (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2023 है।

(2) यह तारीख 05 अक्टूबर, 2023 को प्रवृत्त होगा।

(3) यह नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट माल या वस्तुओं पर लागू होगा और ऐसे माल या वस्तुओं पर लागू नहीं होगा जो निर्यात के लिए बनी हैं।

2. मानकों के साथ अनुरूपता और मानक चिह्न का अनिवार्य उपयोग— उक्त सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट माल या वस्तुएं, उक्त सारणी के स्तंभ (3) में भारतीय मानक का नाम धारण करते हुए स्तंभ (2) में दिए गए तत्संबंधी भारतीय

मानक के अनुरूप होंगीं और भारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता निर्धारण) विनियम, 2018 की अनुसूची-2 की स्कीम-1 के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो की, किसी अनुज्ञप्ति के अधीन मानक चिह्न धारण करेंगी।

3. प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकारी—उक्त सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट मालों या वस्तुओं के संबंध में भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकारी होगा।

4. उल्लंघन के लिए शास्ति — कोई भी व्यक्ति जो इस आदेश के उपबंधों का उल्लंघन करता है, उक्त अधिनियम के उपबंधों के अधीन दंडनीय होगा।

सारणी

माल या वस्तुएं	**भारतीय मानक**	**भारतीय मानक का नाम**
(1)	**(2)**	**(3)**
पॉलिएस्टर कांटीनियुश फिलामेंट फुल्ली ड्रॉन यार्न	आईएस 17261:2019	पॉलिएस्टर कंटिन्यूअस फिलामेंट फुल्ली ड्रॉन यार्न - विनिर्देश

टिप्पण: सारणी के प्रयोजनार्थ, भारतीय मानक ब्यूरो का नवीनतम संस्करण, जिसके अन्तर्गत भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा समय-समय पर जारी किए गए और अधिसूचित किए गए इसके संशोधन भी हैं, ऐसी अधिसूचना की तारीख से लागू होगा।

[फा. सं. पीसी टेक-46016/6/2020-टेक.-सीपीसी-भाग(1)]

दीपक मिश्रा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Department of Chemicals and Petrochemicals)

ORDER

New Delhi, the 17th July, 2023

S.O. 3193(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 read with sub-section (3) of section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), (hereinafter referred to as the said Act) and in supersession of the Polyester Continuous Filament Fully Drawn Yarn (Quality Control) Order, 2022, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following Order, namely:-

1. **Short title and commencement. —** (1) This Order may be called the Polyester Continuous Filament Fully Drawn Yarn (Quality Control) Order, 2023.

(2) It shall come into force on the 05th day of October, 2023.

(3) It shall apply to goods or article specified in column (1) of the Table below and shall not apply to goods or article meant for export.

2. **Conformity to standards and compulsory use of Standard Mark—** Goods or article specified in column (1) of the said Table shall conform to the corresponding Indian Standard given in column (2) bearing the title of the Indian Standard in column (3) of the said Table and shall bear the Standard Mark under a licence from the Bureau of Indian Standards as per Scheme-I of Schedule-II of the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018.

3. **Certification and enforcement authority—** In respect of the goods or article specified in column (1) of the said table, the Bureau of Indian Standards shall be the certifying and enforcing authority.

4. **Penalty for contravention**—Any person who contravenes the provisions of this Order shall be punishable under the provisions of the said Act.

TABLE

Goods or article	Indian Standard	Title for Indian Standard
(1)	(2)	(3)
Polyester Continuous Filament Fully Drawn Yarn	IS 17261:2019	Specification for Polyester Continuous Filament Fully Drawn Yarn -Specification

Note: For the purposes of the Table, the latest version of the Indian Standards including the amendments issued thereof and notified by the Bureau of Indian Standards from time to time, shall apply from the date of such notification.

[F. No. PC Tech-46016/6/2020- TECH.-CPC-Part(1)]

DEEPAK MISHRA, Jt. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 17 जुलाई, 2023

का.आ. 3194(अ).—केन्द्रीय सरकार की, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 25 की उप-धारा (3) के साथ पठित धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पॉलिएस्टर पारशियली ओरिएंटिड यार्न (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2022 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात, यह राय है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ — (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम पॉलिएस्टर पारशियली ओरिएंटिड यार्न (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2023 है।

(2) यह तारीख 05 अक्टूबर, 2023 को प्रवृत्त होगा।

(3) यह नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट माल या वस्तुओं पर लागू होगा और ऐसे माल या वस्तुओं पर लागू नहीं होगा जो निर्यात के लिए बनी हैं।

2. मानकों के साथ अनुरूपता और मानक चिह्न का अनिवार्य उपयोग— उक्त सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट माल या वस्तुएं, उक्त सारणी के स्तंभ (3) में भारतीय मानक का नाम धारण करते हुए स्तंभ (2) में दिए गए तत्संबंधी भारतीय मानक के अनुरूप होंगीं और भारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता निर्धारण) विनियम, 2018 की अनुसूची-2 की स्कीम-1 के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो की, किसी अनुज्ञप्ति के अधीन मानक चिह्न धारण करेंगी।

3. प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकारी— उक्त सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट मालों या वस्तुओं के संबंध में भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकारी होगा।

4. उल्लंघन के लिए शास्ति — कोई भी व्यक्ति जो इस आदेश के उपबंधों का उल्लंघन करता है, उक्त अधिनियम के उपबंधों के अधीन दंडनीय होगा।

सारणी

माल या वस्तुएं	भारतीय मानक	भारतीय मानक का नाम
(1)	(2)	(3)
पॉलिएस्टर पारशियली ओरिएंटिड यार्न	आईएस 17262:2019	पॉलिएस्टर पारशियली ओरिएंटिड यार्न -विनिर्देश

टिप्पण: सारणी के प्रयोजनार्थ, भारतीय मानक ब्यूरो का नवीनतम संस्करण, जिसके अन्तर्गत भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा समय-समय पर जारी किए गए और अधिसूचित किए गए इसके संशोधन भी हैं, ऐसी अधिसूचना की तारीख से लागू होगा।

[फा. सं. पीसी टेक-46016/6/2020-टेक.-सीपीसी-भाग(1)]

दीपक मिश्रा, संयुक्त सचिव

ORDER

New Delhi, the 17th July, 2023

S.O. 3194(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 read with sub-section (3) of section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), (hereinafter referred to as the said Act) and in supersession of the Polyester Partially Oriented Yarn (Quality Control) Order, 2022, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following Order, namely:-

1. **Short title and commencement. —** (1) This Order may be called the Polyester Partially Oriented Yarn (Quality Control) Order, 2023.

(2) It shall come into force on the 05th day of October, 2023.

(3) It shall apply to goods or article specified in column (1) of the Table below and shall not apply to goods or article meant for export.

2. **Conformity to standards and compulsory use of Standard Mark. —** Goods or article specified in column (1) of the said Table shall conform to the corresponding Indian Standard given in column (2) bearing the title of the Indian Standard in column (3) of the said Table and shall bear the Standard Mark under a licence from the Bureau of Indian Standards as per Scheme-I of Schedule-II of the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018.

3. **Certification and enforcement authority.—** In respect of the goods or article specified in column (1) of the said table, the Bureau of Indian Standards shall be the certifying and enforcing authority.

4. **Penalty for contravention**— Any person who contravenes the provisions of this Order shall be punishable under the provisions of the said Act.

TABLE

Goods or article	**Indian Standard**	**Title for Indian Standard**
(1)	**(2)**	**(3)**
Polyester Partially Oriented Yarn	IS 17262:2019	Specification for Polyester Partially Oriented Yarn-Specification

Note: For the purposes of the Table, the latest version of the Indian Standards including the amendments issued thereof and notified by the Bureau of Indian Standards from time to time, shall apply from the date of such notification.

[F. No. PC Tech-46016/6/2020- TECH.-CPC-Part(1)]

DEEPAK MISHRA, Jt. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 17 जुलाई, 2023

का.आ. 3195(अ).—केन्द्रीय सरकार की, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 25 की उप-धारा (3) के साथ पठित धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 100 प्रतिशत पॉलिएस्टर स्पन ग्रे एंड व्हाइट यार्न (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2022 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात, यह राय है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ— (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम 100 प्रतिशत पॉलिएस्टर स्पन ग्रे एंड व्हाइट यार्न (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2023 है।

(2) यह तारीख 05 अक्टूबर, 2023 को प्रवृत्त होगा।

(3) यह नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट माल या वस्तुओं पर लागू होगा और ऐसे माल या वस्तुओं पर लागू नहीं होगा जो निर्यात के लिए बनी हैं।

2. मानकों के साथ अनुरूपता और मानक चिह्न का अनिवार्य उपयोग— उक्त सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट माल या वस्तुएं, उक्त सारणी के स्तंभ (3) में भारतीय मानक का नाम धारण करते हुए स्तंभ (2) में दिए गए तत्संबंधी भारतीय मानक के अनुरूप होंगीं और भारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता निर्धारण) विनियम, 2018 की अनुसूची-2 की स्कीम-1 के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो की, किसी अनुज्ञप्ति के अधीन मानक चिह्न धारण करेंगी।

3. प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकारी— उक्त सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट मालों या वस्तुओं के संबंध में भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकारी होगा।

4. उल्लंघन के लिए शास्ति —कोई भी व्यक्ति जो इस आदेश के उपबंधों का उल्लंघन करता है, उक्त अधिनियम के उपबंधों के अधीन दंडनीय होगा।

सारणी

माल या वस्तुएं	भारतीय मानक	भारतीय मानक का नाम
(1)	(2)	(3)
100 प्रतिशत पॉलिएस्टर स्पन ग्रे एंड व्हाइट यार्न	आईएस 17265:2019	100 प्रतिशत पॉलिएस्टर स्पन ग्रे एंड व्हाइट यार्न - विनिर्देश

टिप्पण: सारणी के प्रयोजनार्थ, भारतीय मानक ब्यूरो का नवीनतम संस्करण, जिसके अन्तर्गत भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा समय-समय पर जारी किए गए और अधिसूचित किए गए इसके संशोधन भी हैं, ऐसी अधिसूचना की तारीख से लागू होगा।

[फा. सं. पीसी टेक-46016/6/2020-टेक.-सीपीसी-भाग(1)]

दीपक मिश्रा, संयुक्त सचिव

ORDER

New Delhi, the 17th July, 2023

S.O. 3195(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 read with sub-section (3) of section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), (hereinafter referred to as the said Act) and in supersession of the 100 Percent Polyester Spun Grey and White Yarn (Quality Control) Order, 2022, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following Order, namely:-

1. **Short title and commencement—** (1) This Order may be called the 100 Percent Polyester Spun Grey and White Yarn (Quality Control) Order, 2023.

(2) It shall come into force on the 05th day of October, 2023.

(3) It shall apply to goods or article specified in column (1) of the Table below and shall not apply to goods or article meant for export.

2. **Conformity to standards and compulsory use of Standard Mark—** Goods or article specified in column (1) of the said Table shall conform to the corresponding Indian Standard given in column (2) bearing the title of the Indian Standard in column (3) of the said Table and shall bear the Standard Mark under a licence from the Bureau of Indian Standards as per Scheme-I of Schedule-II of the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018.

3. **Certification and enforcement authority—** In respect of the goods or article specified in column (1) of the said Table, the Bureau of Indian Standards shall be the certifying and enforcing authority.

4. **Penalty for contravention**— Any person who contravenes the provisions of this order shall be punishable under the provisions of the said Act.

TABLE

Goods or article	Indian Standard	Title for Indian Standard
(1)	(2)	(3)
100 Percent Polyester Spun Grey and White Yarn	IS 17265:2019	100 Percent Polyester Spun Grey and White Yarn - Specification

Note: For the purposes of the Table, the latest version of the Indian Standards including the amendments issued thereof and notified by the Bureau of Indian Standards from time to time, shall apply from the date of such notification.

[F. No. PC Tech-46016/6/2020- TECH.-CPC-Part(1)]

DEEPAK MISHRA, Jt. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 17 जुलाई, 2023

का.आ. 3196(अ).—केन्द्रीय सरकार की, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात, यह राय है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, पॉलिएस्टर इंडस्ट्रियल यार्न (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2022 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ —** (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम पॉलिएस्टर इंडस्ट्रियल यार्न (गुणवत्ता नियंत्रण) द्वितीय संशोधन आदेश, 2023 है।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. पॉलिएस्टर इंडस्ट्रियल यार्न (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2022 के पैरा 1 में, उप-पैरा (3) में, निम्नलिखित परंतुक अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"बशर्ते कि इस आदेश का कुछ भी 500 (पाँच सौ) डेनियर्स से कम पर लागू नहीं होगा"

[फा. सं. पीसी-II 46016/6/2020-टेक. सीपीसी भाग-(1)]

दीपक मिश्रा, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 1652(अ), तारीख 5 अप्रैल, 2022 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात संख्यांक का.आ. 4606(अ), तारीख 29 सितंबर, 2022 और का.आ. 1560(अ), तारीख 31 मार्च, 2023 द्वारा संशोधित किया गया था।

ORDER

New Delhi, the 17th July, 2023

S.O. 3196(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following order further to amend the Polyester Industrial Yarn (Quality Control) Order, 2022, namely:-

1. **Short title and commencement**.—(1) This order may be called the Polyester Industrial Yarn (Quality Control) Second Amendment Order, 2023.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the **Polyester Industrial Yarn** (Quality Control) Order, 2022, in paragraph 1, in sub-paragraph (3), the following proviso shall be inserted, namely: —

"Provided that nothing in this Order shall apply to less than 500 (five hundred) deniers"

[F. No. PC-II 46016/6/2020-Tech.CPC Part(1)]

DEEPAK MISHRA, Jt. Secy.

Note : The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 1652(E), dated the 5th April, 2022 and subsequently amended *vide* numbers S.O. 4606(E), dated the 29th September, 2022 and 1560(E), dated that 31st March, 2023.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA